कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

क्रमांक / को.स्वा.स. / भर्ती / 2021 / 648 दिनांकः– 10/09/2021

कार्यालय आदेश

श्रीमान शासन उप सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–2) विभाग के आदेश क्रमांक प.1 (1) चिस्वा / ग्रुप–2 / 2020 जयपुर दिनांक 18.05.2021 के द्वारा जिले में कोविड19 से उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों के परिपेक्ष में राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोडने, मरीजो को उपचार उपलब्ध कराने व मृत्यु दर को न्यूनतम किये जाने एवं जिले में संचालित घर–घर सर्वे एवं दवा नियोजन किए जाने के लिए जिले में कोविड स्वास्थ्य सहायक को 31 अक्टुवर 2021 तक नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जिस तरह से जिला स्तर पर स्वयंसेवको का चयन / मनोनयन किया जाता है उसी आधार पर किया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक / 2021–22 / 1240 दिनांक 28.08.2021 के द्वारा कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती 2021 अस्थाई चयन सूची में प्राप्त कुल 130 आपत्तियां / परिवेदना प्राप्त हुई जिसका निस्तारण पूर्व गठित जांच समिति द्वारा करवाया गया। जांच समिति के द्वारा निस्तारण पश्चात स्थाई चयन सूची तैयार की गई है। जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय् सवाई माधोपुर के पत्रांक / प. 5(8)शिका / स्थापना / 2021 / 4782 दिनांक 09.09.2021 के द्वारा कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती 2021 अन्तर्गत स्थाई चयन सूची जारी की गई है। जो संलग्न है। वर्गवार योग्य पाये गये अभ्यर्थियों का निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन चयन / नियोजन किया जाता है :–

शर्ते निम्नानुसार है :–

1. कोविड स्वास्थ्य सहायक को मासिक मानदेय 7900 / – रूपये प्रतिमाह देय होगा।
2. स्थानीय निकाय (ग्रामीण / शहरी) State Finance Commission से जो अनुदान, राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, वर्तमान में कोविड–19 की परिस्थितियों के कारण कोविड स्वास्थ्य सहायकों के नियोजन के मानदेय की राशि उक्त ग्रान्ट में से भुगतान की जावे इसके अलावा अन्य संसाधनों यथा NHM/DMFT इत्यादि से भी आवश्यकतानुसार इसका भुगतान किया जायेगा।
3. इन अभ्यर्थीयों का कार्यग्रहण उनके द्वारा प्रस्तुत संबधित प्रमाण पत्रों की जांच के अध्यधीन रहेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज मिथ्या / गलत पाये जाते है तो उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।
4. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने पर कोविड स्वास्थ्य सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नही होगे। इस आशय का शपथ पत्र 100 / – रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर (नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो), उपस्थिति के समय प्रस्तुत करेगें।
5. चयनित अभ्यर्थी कार्यग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति, विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र, धुम्रपान नही करने का शपथ पत्र 50 / – रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर (नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो), राजस्थान पैरा मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन प्रमाण पत्र जो कार्यग्रहण की तिथि को नवीनीकृत हो व अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

6. अभ्यर्थीयों के कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज फर्जी, परिवर्तित अथवा कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेगें। साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दण्डिक कार्यवाही की जावेगी।
7. कोविड स्वास्थ्य सहायक द्वारा District Hospital Covid Care Centre, Oxygen Monitor & Contract Tracing Drive/CHC/PHC/ग्राम पंचायतो में कोविड–19 के बारे में गांव की जनता/शहरी क्षेत्र को संक्रमण की रोकथाम हेतु दिए गए उत्तरदायितवों का तथा समय–समय पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
8. चयनित अभ्यर्थी दिनांक 14.09.2021 तक इस कार्यालय में दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उपस्थिति प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगें। दस्तावेज सत्यापन के समय अपूर्ण दस्तावेज होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नही करवाया जावेगा। निर्धारित अवधि में उपस्थित नही होने वाले अभ्यर्थी कोविड स्वास्थ्य सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नही होगे।
9. चयन समिति को उक्त कोविड हैल्थ सहायक का चयन/मनोनयन के बारे में संशोधन/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

नोट :– उक्त स्थाई चयन सूची कार्यालय की नोटिस बोर्ड के साथ–साथ विभागीय वैबसाईट sawaimadhopur.gov.in पर देखी जा सकती है।

(डॉ. तेजराम मीना)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सवाई माधोपुर

क्रमांक/को.स्वा.स./भर्ती/2021/ 648 दिनांकः– 10/09/2021

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान शासन उप सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज.जयपुर को अनुमोदनार्थ
3. श्रीमान् जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर।
4. उप निदेशक, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, सवाई माधोपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त सूची को विभागीय वेबसाईट sawaimadhopur.gov.in पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. श्रीमान संयुक्त निदेशक चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, जोन–भरतपुर।
6. सम्बन्धित अभ्यर्थी को पालनार्थ।
7. नोटिस बोर्ड/आदेश पत्रावली।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सवाई माधोपुर